उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-115/3542/पांच-8-2016-08(नियुक्ति)/2010
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4459/चि0-3-2010-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा0 महेश पाल सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 महेश पाल सिंह द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा डा0 सिंह की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, किरावली, आगरा में की गयी थी, जहां डा0 सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया तथा 28-02-2016 तक कार्य किया गया। डा0 महेश पाल सिंह द्वारा अपने पारिवारिक कारणों से दिनांक 29-02-2016 को त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु त्याग पत्र निर्धारित प्रारूप में न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था। डा0 महेश पाल सिंह ने दिनांक रहित पत्र के माध्यम से पूर्व में दिया गया त्याग पत्र वापस लेते हुए पुनः सेवा में योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 18-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 महेश पाल सिंह, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि दिनांक 22-02-2016 अर्थात त्याग पत्र दिये जाने की तिथि से कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि के मध्य की अवधि के सम्बन्ध में यथानियम निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 महेश पाल सिंह, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 12-01-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-115/3542(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 महेश पाल सिंह, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 12-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा।

6- कोषाधिकारी, आगरा।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-116/3938/पांच-8-2016-08(नियुक्ति)/2010

लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4459/चि0-3-2010-08(नियुक्ति)/2010, दिनांक 30-12-2010 द्वारा डा0 अवधेश कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 अवधेश कुमार वर्मा द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर द्वारा डा0 वर्मा की तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौवाजहमूदपुर(परसेण्डी), सीतापुर में की गयी थी, जहां डा0 वर्मा द्वारा दिनांक 22-01-2011 को कार्यभार ग्रहण किया गया। वर्ष 2013 में डा0 वर्मा का चयन पी0जी0(कम्युनिटी मेडिसिन) में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में हो जाने के कारण पी0जी0 अनुमति की प्रत्याशा में पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 अवधेश कुमार वर्मा द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 03-09-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 अवधेश कुमार वर्मा, एम0डी0(कम्युनिटी मेडिसिन) को मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 अवधेश कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 12-01-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला

विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-116/3938(1)/पांच-8-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 अवधेश कुमार वर्मा, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 12-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।

6- कोषाधिकारी, सीतापुर।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-117/3759/पांच-8-2016-जी0(292)/2016
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-609/चि0-3-2010-03(नियुक्ति)/2009, दिनांक 09-03-2010 द्वारा डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल द्वारा दिनांक 07-04-2010 को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर द्वारा डा0 कौशल की तैनाती नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भमापार, गाजीपुर में की गयी, जहां डा0 कौशल द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 कौशल द्वारा दिनांक 07-04-2010 से 27-09-20,1 तक शासकीय कार्य सम्पादित किया गया। डा0 कौशल का चयन एम0डी0(माइक्रबायलोजी) में जाने के कारण पी0जी0 अध्ययनरत हो गये। डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 23-11-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल, एम0डी0(माइक्रोबायलोजी) को मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के अधीन इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15-01-2017 तक मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-117/3759(1)/पांच-8-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 सत्येन्द्र कुमार कौशल चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 15-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर।

6- कोषाधिकारी, गाजीपुर।

7- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

8- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-8
संख्या-118/3819/पांच-8-2016-जी0(292)/2016
लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-279/पांच-8-2012-म0(25)/2012, दिनांक 28-02-2012 द्वारा डा0 मोनिका गुप्ता, चिकित्साधिकारी को मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ के अधीन नियुक्ति/तैनाती प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में डा0 मोनिका गुप्ता द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ द्वारा डा0 गुप्ता की तैनाती सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोपागंज, मऊ में तैनात किया गया, जहां डा0 गुप्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। डा0 मोनिका गुप्ता का चयन एम0डी0(पैथालाजी) में जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर में जाने के कारण पी0जी0 अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए पी0जी0 अध्ययनरत हो गयी। डा0 मोनिका गुप्ता द्वारा पी0जी0 कोर्स पूर्ण करने के उपरान्त पत्र दिनांक 21-09-2016 द्वारा पुनः योगदान कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ के पत्र दिनांक 24-10-2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरान्त डा0 मोनिका गुप्ता, एम0डी0(पैथालाजी) को जिला चिकित्सालय, आगरा में इस शर्त के साथ कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है कि उनकी पी0जी0 अवधि के सम्बन्ध में पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

2- डा0 मोनिका गुप्ता, चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15-01-2017 तक जिला चिकित्सालय, आगरा के कार्यालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करें। यह भी सचेत करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर योगदान कराने विषयक आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

डा0 नीरज शुक्ला
विशेष सचिव।

क्रमशः

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-118/3819(1)/पांच-8-2016-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डा0 मोनिका गुप्ता, चिकित्साधिकारी को अपने स्तर से तत्काल सूचित करते हुए निर्धारित तिथि 15-01-2017 तक कार्यभार ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए इस आदेश की प्रति विभागीय वेवसाइड पर आज ही अपलोड कराना भी सुनिश्चित करें।

3- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ0प्र0,लखनऊ

4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़/आगरा मण्डल।

5- मुख्य चिकित्साधिकारी, मऊ।

6- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, आगरा।

7- कोषाधिकारी, मऊ/आगरा।

8- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।

9- प्रभारी/कम्प्यूटर सेल (पी-2), महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित चिकित्साधिकारी से पी0जी0 कोर्स का संगत प्रमाण-पत्र प्राप्त करके पी-2 में एक माह के अन्दर अंकित कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- गार्ड फाइल/प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)

अनु सचिव।

u.o.m.n

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।